राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

नियमानुसार विभागीय अधिसूचना प. 10(2)राज-6/2000 पार्ट 11/21 दिनांक 29-8-03 का हिन्दी अनुवाद एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सं. एफ 10(2)रेवे-6/2000 पार्ट।1/8 जयपुर दिनांक 24-3-2004

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) (...II... संशोधन) नियम, 2003 है।

   (1) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 36 का संशोधन- राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम 1957 जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

   "36" सिंचाई प्रभारों का संग्रहण- ऐसे सभी मामलों में, जिनमें सिंचाई प्रभार (50 एकड तक की सिंचाई क्षमता वाले तालाबों को छोडकर) लगान के अतिरिक्त सरकार को संदेय है, वहां पटवारी सिंचित क्षेत्र की माप करेंगे और ऐसे क्षेत्रों के लिए (प्रारूप पी-38 में खसरा तैयार कर और (प्रारूप पी-39) में सिंचाई खतौनी तैयार करेंगे और राज्य सरकार द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार भू-राजस्व के संग्रहण जैसी रीति से सिंचाई प्रभार संगृहीत करने की भी व्यवस्था करेंगे।